

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला —बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—436 / 2015
 संस्थित दिनांक—30.05.2015
 फाईलिंग क.234503004982015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

आनंददास पिता धरमदास धारवे, जाति पनिका, उम्र—45 वर्ष,
 निवासी—ग्राम सहेजना, पनिकाटोला, थाना बैहर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—15 / 09 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा—25 (1—बी) बी सहपठित धारा—4 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—09.04.2015 को 1:10 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम सहेजना, पनिकाटोला में अपने घर के सामने जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक—6312—6552—II—बी(I) दिनांकित—22.11.1974 के उल्लंघन में निषेधित आकार प्रकार की 6 इंच से अधिक लंबे फल का धारदार चाकू बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि थाना बैहर में पदस्थ प्रधान आरक्षक ख्यालसिंह वरकड़े दिनांक—09.04.2015 को ग्राम गश्ती के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम सहेजना का आनन्ददास धारवे अपनी पत्नी को घरेलु विवाद को लेकर चाकू लेकर मारने पीटने के लिए हो रहा है। उक्त सूचना पर वह हमराह स्टॉफ के ग्राम सहेजना गया, जहां एक व्यक्ति ने हाथ में चाकू लिए मारने के लिए हो रहा था, जिसका नाम पूछे जाने पर उसने अपना नाम आनन्ददास बताया। मौके पर आनन्ददास से चाकू रखने के संबंध में लायसेंस पूछा गया तो उसने लायसेंस नहीं होना बताया। उसके द्वारा समझाए जाने पर आनन्ददास और भी उत्तेजित होकर अपनी पत्नी सुकवारोबाई को चाकू से मारने को हो रहा था। आरोपी से गवाहों के समक्ष एक

चाकू जिसकी लंबाई 16 इंच, फन की लंबाई साढ़े 11 इंच, मुठ की लंबाई साढ़े 4 इंच, फन की चौड़ाई डेढ़ इंच जप्त कर मौके पर ही सीलबन्द किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-27/2015, धारा-25 आयुध अधिनियम कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौकानक्शा तैयार कर, साक्षियों के कथन लेख किया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा-25 (1-बी) बी सहपठित धारा-4 का आरोप पत्र विरचित किये जाने पर उसके द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपी के द्वारा धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहकर झूठा फंसाया होना बताया गया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4- **प्रकरण में निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-**

1. क्या आरोपी ने दिनांक-09.04.2015 को 1:10 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम सहेजना, पनिकाटोला में अपने घर के सामन जो कि एक सार्वजनिक स्थान है, में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II-बी (I) दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में निषेधित आकार प्रकार की 6 इंच से अधिक लंबे फल का धारदार चाकू बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा ?

: : विचारणीय बिन्दु का निराकरण : :

5- अनुसंधानकर्ता अधिकारी ख्यालसिंह वरकड़े (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-09.04.15 को थाना बैहर में गश्ती प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सहेजना का आनंददास अपनी पत्नी को मारने पीटने के लिए एक चाकू से कोशिश कर रहा है। उक्त सूचना पर वह मौके पर गया, जहां पर आनंददास उसे देखकर चाकू छुपा रहा था। उसने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम आनंददास बताया। आरोपी से उक्त चाकू को रखने के संबंध में लायसेंस के बारे में पूछा तो उसने लायसेंस नहीं होना बताया। आरोपी आनंददास से एक लोहे का चाकू जप्त किया जो आर्टिकल ए-1 है, जिसे जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

जप्त चाकू के फन की लंबाई साढ़े 11 इंच, मुठ की लंबाई साढ़े 4 इंच, कुल लंबाई 16 इंच और आर्टिकल ए-1 की चौड़ाई डेढ़ इंच है। उक्त जप्ती कार्यवाही आरोपी की पत्नी सुकवारोबाई एवं साक्षी भागचंद के समक्ष की थी। आरोपी को साक्षी सुकवारोबाई एवं भागचंद के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाना वापस आकर आनंददास के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-27/15, धारा-25 आर्म्स एक्ट की प्रथम सूचना लेख किया था, जो प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-09.04.15 को घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी भागचंद, सुकवारोबाई, धर्मेन्द्र लोधी के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। उसने दिनांक-09.04.15 की रवानगी-वापसी सान्हा क्रमांक-425 एवं 436 की सत्यप्रति संलग्न किया है, जो प्रदर्श पी-5 एवं 6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के द्वारा उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलों में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया है।

7— भागचंद (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। वह आरोपी की पत्नी सुकवारोबाई को भी जानता है। घटना लगभग 4 माह पूर्व दिन के 12-1 बजे की है। घटना दिनांक को आरोपी शराब पीकर गाली-गलौज कर रहा था। पुलिस ने उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती नहीं की थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

8— सुकवारोबाई (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि आरोपी उसका पति है। घटना लगभग 4 माह पूर्व दिन के 1:00 बजे की है। घटना दिनांक को आरोपी शराब पीकर उसके साथ लड़ाई-झगड़ा कर रहा था और उसे लकड़ी से मारपीट कर रहा था। इसके अलावा आरोपी के पास कुछ नहीं था। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कोई जप्त नहीं की थी और न ही आरोपी को गिरफ्तार किया था।

9— उक्त साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी आर्टिकल ए-1 का चाकू दिखाकर सुकवारोबाई को दौड़ा रहा था। साक्षीगण ने इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उसी समय आरोपी से उक्त चाकू जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की थी। साक्षीगण ने उनके पुलिस कथन प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षीगण ने जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का महत्वपूर्ण समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

10— आरक्षक धर्मेन्द्र लोधी (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी आनंददास को पहचानता हैं। वह दिनांक 09.04.15 को थाना बैहर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वरकड़े मेजर के साथ ग्राम गश्त में ग्राम सहेजना तरफ गया था, तभी वरकड़े मेजर के पास एक लड़का आकर बताने लगा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को मारपीट कर रहा है, फिर वे लोग उक्त सूचना पर व्यक्ति के पास गए, जिसने अपने पीछे एक चाकू छुपाया हुआ था। फिर आरोपी को थाना लाकर उसके विरुद्ध कार्यवाही की। उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने यह स्वीकार किया कि आरोपी के हाथ से एक लोहे का चाकू छुड़ाया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि थाना वापस आकर रोजनामाचा सान्हा क्रमांक-436, दिनांक-09.04.15 में लेख किया गया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है कि घटना के समय आरोपी से लोहे का चाकू छुड़ाया गया था। इस प्रकार साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि जप्ती अधिकारी के द्वारा घटना के समय आरोपी से लोहे का चाकू छुड़ाकर जप्त किया गया था।

11— प्रकरण में एक ही पुलिस अधिकारी के द्वारा प्रकरण में जप्ती, गिरफ्तारी एवं फरियादी के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई है और संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही की गई है। उक्त पुलिस अधिकारी के द्वारा जप्ती एवं गिरफ्तारी कार्यवाही करने के उपरांत उसे प्रकरण में शेष अनुसंधान कार्यवाही एवं फरियादी के रूप में रिपोर्ट दर्ज करने के अधिकार की समाप्ति नहीं हो जाती और केवल इस कारण की एक ही पुलिस अधिकारी के द्वारा संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर लेने से मामला संदेहास्पद नहीं होता।

12— जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन अन्य स्वतंत्र साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में नहीं किया है, किन्तु मात्र उक्त साक्षीगण के द्वारा पक्षसमर्थन न किया जाना अभियोजन मामले पर संदेह किये जाने का आधार नहीं माना जा सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त स्वतंत्र साक्षीगण में से एक साक्षी सुकवारोबाई (अ.सा.2) आरोपी की पत्नी है, जिसके द्वारा आरोपी के निकट संबंधी होने से अभियोजन का समर्थन न किया जाना स्वाभाविक है। अन्य साक्षी भागचंद (अ.सा.3) ने जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। वास्तव में अनुसंधानकर्ता अधिकारी ख्यालसिंह वरकड़े (अ.सा.1) द्वारा जप्ती अधिकारी के रूप में की गई संपूर्ण कार्यवाही को श्रृंखलाबद्ध एवं विधिवत् रूप से निष्पादित किया जाना प्रकट होता है। उक्त कार्यवाही किये जाने के संबंध में रोजनामचा सान्हा को भी प्रमाणित कराया गया है। उक्त रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 में कार्यवाही के समय जिस हमराह आरक्षक के साथ में होने का उल्लेख है, उसी आरक्षक धर्मेन्द्र लोधी (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन किया है। उक्त जप्ती अधिकारी ने अपनी साक्ष्य में जप्तशुदा चाकू आर्टिकल ए-1 की लंबाई 11 इंच व चौड़ाई डेढ़ इंच बताया है। इस प्रकार म.प्र. राज्य की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II-बी(I) दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में निषेधित आकार प्रकार की 6 इंच से अधिक लंबे फल का धारदार चाकू आरोपी से जप्त किया जाना प्रमाणित है, जिस पर संदेह करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

13— प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा तैयार घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-4 में घटनास्थल आरोपी के मकान के सामने सार्वजनिक स्थान के रूप में दर्शित किया गया है, जहां से आरोपी हाथ में चाकू लेकर पकड़ाया गया है। बचाव पक्ष की ओर से इस तथ्य के संबंध में जप्ती अधिकारी के प्रतिपरीक्षण में इस बारे में कोई चुनौती नहीं दी गई है कि आरोपी के आधिपत्य से जप्तशुदा चाकू आर्टिकल ए-1 धारदार नहीं था या सार्वजनिक स्थान से जप्त नहीं किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से खण्डन में यह भी साबित नहीं किया गया कि जप्तशुदा चाकू आर्टिकल ए-1 की लंबाई 6 इंच या उससे अधिक नहीं थी। बचाव पक्ष की ओर से उक्त जप्तशुदा आयुध के संबंध में कोई अनुज्ञप्ति भी पेश नहीं की गई है। इस प्रकार आरोपी के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर आयुध अधिनियम की धारा-4 उक्त अधिसूचना के उल्लंघन में निषेधित आकार का चाकू उसके आधिपत्य में रखा होना प्रमाणित पाया जाता है।

14— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व सार्वजनिक स्थान में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II-बी(I) दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में निषेधित आकार प्रकार की 6 इंच से अधिक लंबे फल का धारदार चाकू बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा। अतः आरोपी को आयुध अधिनियम की धारा-25 (1-बी) बी सहपठित धारा-4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

15— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

पश्चात्—

16— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। आरोपी मामलों में पूर्व से ही अभिरक्षा में रहा है। अतएव उसे भोगी गई अभिरक्षा की अवधि के कारावास से दंडित कर छोड़ा जावे।

17— मामले में आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को आयुध अधिनियम की धारा-25 (1-बी) बी सहपठित धारा-4 के अपराध के अंतर्गत एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को पृथक से एक माह का कठोर कारावास भुगताया जावे।

18— प्रकरण में आरोपी दिनांक-09.04.2015 से दिनांक-15.09.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है, उक्त अभिरक्षा की अवधि धारा-428 द.प्र.सं. के तहत मूल कारावास में समायोजित की जावे। उक्त के संबंध में पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

19— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति लोहे का चाकू मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्ट की जावें अथवा अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट